

न्यायालय उपजिलाधिकारी मिल्कीपुर फैजाबाद।

रामदेव महाविद्यालयबनाम.....सरकार
धारा 143 ज0वि0अधिनियम
ग्राम पाराताजपुर, परगना पश्चिमराठ
तहसील मिल्कीपुर फैजाबाद
वाद संख्या - 116

आदेश

प्रश्नगत वाद रामदेव महाविद्यालय हैरिंग्टनगंज पाराताजपुर द्वारा प्रबन्धक संजय कुमार पुत्र रामदेव निवासी परसपुर सथरा परगना पश्चिमराठ तहसील मिल्कीपुर फैजाबाद द्वारा प्रस्तुत किया गया है, जिसमें मुख्य रूप से कहा गया है कि गाम पाराताजपुर की गाटा संख्या 2027 /0.079, 2033/0.120, 2035क/0.616, 2036/0.139, 2037/0.067 कुल 5 किता रकबा 1.021 हे0 पर कृषि कार्य न होकर वर्तमान समय में उक्त भूमि में विद्यालय के कमरे व बाउन्ड्रीवाल बनी हुई है। इसलिये उक्त गाटों को अकृषिक भूमि घोषित किया जाना नितान्त आवश्यक है। अन्त में धारा 143 के तहत आवादी घोषित किये जाने की याचना की गयी है। इस सम्बन्ध में नायब तहसीलदार मिल्कीपुर से जांच करायी गयी। नायब तहसीलदार मिल्कीपुर की आख्यानुसार ग्राम पाराताजपुर की गाटा संख्या 2027 /0.079, 2033/0.120, 2035क/0.616, 2036/0.139, 2037/0.067 कुल 5 किता रकबा 1.021 हे0 पर कृषि कार्य न होकर वर्तमान समय में उक्त भूमि में विद्यालय के कमरे व बाउन्ड्रीवाल बनी हुई है। कृषि कार्य नहीं होता है। अन्त में अकृषिक भूमि घोषित किये जाने की संस्तुति की गयी है। वाद दर्ज रजिस्टर के पक्षों को नोटिस जारी की गयी जो वाद तामीला संलग्न पत्रावली है। कोई भी कृषि कार्य नहीं आयी है।

मैने पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली पर उपलब्ध नायब तहसीलदार मिल्कीपुर की आख्या से स्पष्ट होता है कि उक्त भूखण्ड पर विद्यालय के कमरे व बाउन्ड्रीवाल बनी है। कृषि कार्य नहीं हो रहा है, इस प्रकार उपरोक्त गाटों को अकृषिक भूमि घोषित किया जाना न्यायोचित है।

अतः ग्राम गाम पाराताजपुर परगना पश्चिमराठ तहसील मिल्कीपुर की गाटा संख्या 2027 /0.079, 2033/0.120, 2035क/0.616, 2036/0.139, 2037/0.067 कुल 5 किता रकबा 1.021 हे0 जो रामदेव महाविद्यालय हैरिंग्टनगंज पाराताजपुर द्वारा प्रबन्धक संजय कुमार पुत्र रामदेव निवासी परसपुर सथरा परगना पश्चिमराठ तहसील मिल्कीपुर फैजाबाद के नाम अंकित है, को धारा 143 ज0वि0अधि0 के तहत अकृषिक भूमि घोषित किया जाता है। आदेश की एक प्रति उपनिबन्धक मिल्कीपुर को प्रेषित की जाय। वाद आवश्यक कार्यवाही पत्रावली दाखिल दफतर हो।
दिनांक:

आया प्रति, रकबा का मिलान किया
शब्द भंगभय..... 500

सत्य प्रतिलिपि
प्रमाणित

उपजिलाधिकारी
मिल्कीपुर फैजाबाद।

25/6/15
श्यामानन्द उपाजिलाधिकारी
मिल्कीपुर-फैजाबाद।

प्रबन्धक
रामदेव महाविद्यालय
गंज, है